

पीईईओ विद्यालय/माध्य. विद्यालय /उच्च माध्य. विद्यालय  
 एसएमएससी/एसडीएमसी द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति  
 (ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना का संचालन इसी एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जाना है)

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .....को हुई। बैठक में ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थियों को निम्नानुसार ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति / अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	एस.आर. संख्या	कक्षा	अवधि	सुविधा (ट्रान्सपोर्ट वाउचर (1) /सामूहिक परिवहन (2))	देय राशि
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								